न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 161/2020, जिला दौसा

1. सोनपाल पुत्र श्योजी
2. बच्चू पुत्र गोपी
3. नत्थू पुत्र खेमा
4. लल्लू पुत्र देवा
5. धर्मवीर पुत्र मांगीलाल
6. जयसिंह पुत्र मीना
7. मिश्री बेवा श्योजी

समस्त जाति बंजारा निवासी बंजारा बस्ती बालाहेडी तहसील महवा जिला दौसा।

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. आदर्श विद्या मंदिर बालाहेडी तहसील महवा द्वारा अध्यक्ष विजय गुप्ता पुत्र छगनलाल गुप्ता निवासी बालाहेडी तहसील महवा जिला दौसा।
2. ग्राम पंचायत बालाहेडी पंचायत समिति महवा तहसील महवा जिला दौसा द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत बालाहेडी
3. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार महवा जिला दौसा।

–रेस्पोंडेन्ट्स

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील विरूद्व आवंटन आदेश योग्य अधिनस्थ जिला कलक्टर दौसा दिनांक 19.05.2016 बहक आदर्श बाल विद्या मंदिर बालाहेडी तहसील महवा जिला दौसा।

उपस्थित–

1. श्री उमेश गौड वकील अपीलान्ट
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट नं. 3

निर्णय

दिनांक –10.08.2022

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 19.05.2016 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 एवं 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम बालाहेडी तहसील महवा जिला दौसा में स्थित आराजी खसरा नं. 4 रकबा 24.46 है0 चारागाह भूमि में से 2.52 है0 भूमि ग्राम पंचायत बालाहेडी के आवेदन एवं उपखण्ड अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर ग्राम पंचायत महवा की गाडिया लुहारों, बंजारो एवं अन्य घुमन्तुक जाति के परिवार को प्राथमिकता के आधार पर आवासीय पट्टे जारी करने के लिए सेट अपार्ट की गई। तत्पश्चात् अध्यक्ष प्रबन्ध समिति आदर्श विद्या मंदिर बालाहेडी के आवेदन पर इसी खसरा नं. में से 0.75 है0 भूमि विभिन्न स्तरों पर जॉच एवं राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति पत्र उपरान्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा दिनांक 19.05.2016 को ग्राम बालाहेडी में संचालित आदर्श विद्या मंदिर संस्थान हेतु भवन निर्माणार्थ कीमतन आवंटित करने के आदेश दिये गये।

जिला कलक्टर दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 19.05.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट सोनपाल पुत्र श्योजी वगै0 द्वारा यह अपील धारा 5 मियाद अधिनियम एवं 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर दौसा दिनांक 19.05.2016 की संशोधित तरमीम को पुनः मौके की स्थिति अनुसार संशोधित किये जाने की प्रार्थना की।

Scanned by CamScanner

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। रेस्पो. संख्या 1 व 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अपीलांट व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि वाके ग्राम बालाहेडी तहसील महवा जिला दौसा में स्थित आराजी खसरा नं. 4 रकबा 24.46 है0 चारागाह भूमि में से 2.52 है0 भूमि ग्राम पंचायत महवा की गाडिया लुहारों, बंजारो एवं अन्य घुमन्तुक जाति के परिवार को प्राथमिकता के आधार पर आवासीय पट्टे जारी करने के लिए सेट अपार्ट की गई जिसमें बंजारा जाति के लोगो को 52 पट्टे ग्राम पंचायत बालाहेडी द्वारा जारी कर दिये गये हैं एवं इसी खसरा नं. में से 0.75 है0 भूमि जिला कलक्टर दौसा द्वारा दिनांक 19.05.2016 को ग्राम बालाहेडी में संचालित आदर्श विद्या मंदिर संस्थान हेतु भवन निर्माणार्थ कीमतन आवंटित की गई एवं नक्शा ट्रेस अनुमोदित किया। अपीलांटस के परिवारजन का कब्जा होने के कारण अनुमोदित नक्शा ट्रेस को परिवर्तित कर आंवटित भूमि की सीमा को दक्षिण में अन्य खातेदारान की खातेदारी भूमि से लगता हुआ दर्शित किया। संस्थान के उत्तरी भाग में आबादी बसी हुई है जिसे पूर्व जिला कलक्टर द्वारा आबादी में सेट अपार्ट भूमि का 10 बीघा पृथक–पृथक नक्शा ट्रेस में दर्शित कर दिया। अतः बार बार तहसील प्रशासन द्वारा तरमीम बदलने के कारण अपीलांट की भूमि को आदर्श विद्या मंदिर के लिए आवंटित भूमि में दर्शित कर दिया गया है। जिस कारण से तहसीलदार द्वारा अपीलांट की आबादी को आदर्श विद्या मंदिर की खेल मैदान की भूमि में बताकर बेदखल करने हेतु धारा 91 राज0 भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही की जा रही है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आवंटन आदेश दिनांक 19.05.2016 के साथ अनुमोदित नक्शा ट्रेस को बदलकर अपीलांटस की बसी हुई आबादी के स्थान पर आवंटित भूमि की तरमीम करने में कानूनी गलती की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर दौसा, दिनांक 19.05.2016 की संशोधित तरमीम को पुनः मौके की स्थिति अनुसार संशोधित किये जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि वाके ग्राम बालाहेडी तहसील महवा जिला दौसा में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 4 रकबा 24.46 है0 के चारागाह भूमि में से 2.52 है0 भूमि आबादी विस्तार हेतु आवंटित हुई है। इसी खसरा नं. में से 0.75 है0 भूमि जिला कलक्टर दौसा द्वारा दिनांक 19.05.2016 को ग्राम बालाहेडी में संचालित आदर्श विद्या मंदिर संस्थान हेतु भवन निर्माणार्थ कीमतन आवंटित की गई एवं नक्शा ट्रेस अनुमोदित किया। जिसकी राशि भी राजकोष में जमा कराई जा चुकी है। अतः दोनो आवंटित भूमि अलग–अलग हैं। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर दौसा उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलांट को जारी नकल दिनांक 07.11.2016 को प्राप्त होना बताया गया है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। पटवारी एवं गिरदावर रिपोर्ट दिनांक 16.12.2004 में उल्लेख है कि स्कूल के लिए प्रस्तावित भूमि 0.75 है0 है एवं वर्तमान में खाली पडी है। फर्द मौका दिनांक 20.11.2006 में उल्लेख है कि रकबा मौके पर खाली है एवं किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है एवं उपखण्ड अधिकारी महवा की रिपोर्ट दिनांक 09.03.2015 में भी उल्लेख किया गया है कि खसरा नं. 4/1 रकबा 21.79 है0 में से वर्तमान में प्रस्तावित 100X75 वर्गमीटर भूमि (7500 वर्ग मीटर) की किस्म चारागाह है जो मौके पर खाली है एवं किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है। प्रस्तावित भूमि को नक्शा ट्रेस में चिन्हित कर दर्शाया हुआ है। अपीलांटस द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा जारी आवंटित भूमि के संबंध में कोई पट्टा भी उपलब्ध नहीं कराया गया है जिससे यह साबित हो सके की जिला कलक्टर दौसा द्वारा दिनांक 19.05.2016 को ग्राम बालाहेडी में

Scanned by CamScanner

चिन्हित आदर्श विद्या मंदिर संस्थान हेतु आवंटित की गई भूमि अपीलांटस को आवंटित की गई भूमि है। जिला कलक्टर दौसा ने मौका रिपोर्ट के आधार पर एवं विधिक प्रावधानों के अनुसार ही भूमि आवंटन आदेश दिनांक 19.05.2016 पारित किया है। जिसमें कोई त्रुटि जाहिर नही होती है एवं अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर दौसा दिनांक 19.05.2016 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ. गिरीश पाराशर)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner